कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

Registrar ☎: 05942-235563
कुलसचिव email: registrar@kunainital.ac.in

Ref: Date:

2.1.2 Number of seats filled against seats reserved for various categories as per applicable reservation policy during the year.(Excluding Supernumerary Seats)										
2.1.2.1: Number of actual students admitted from the reserved categories during the year -2022-23										
Year	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
	SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others (Gen-EWS)
2022-23	1746	368	1287	4870	919	1341	132	370	3406	193

Registrar,
Kumaun University
NAINITAL.

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

Registrar ☎: 05942-235563
कुलसचिव email: registrar@kunainital.ac.in

Ref: Date:

Categorywise Student enrollement in Kumaun University 2022-23

Programme	Gen	Gen EWS	SC	ST	OBC	Other
P.G. DIPLOMA IN MOUNTAIN ECOSYSTEM AND CLIMATE CHANGE	2	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
P G DIPLOMA IN TOURISM & HOSPITALITY	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
PG DIPLOMA IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION	10	Nil	5	Nil	Nil	Nil
M.A. IN YOGIC SCIENCE	12	Nil	2	Nil	Nil	Nil
BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION	147	2	34	5	21	
BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B.SC. FORESTRY	37	1	5	Nil	3	Nil
BACHELOR IN COMPUTER APPLICATION	74	11	20	3	8	5
B.LIB & I.SC	9	Nil	1	Nil	1	Nil
BACHELOR OF FINE ART	63	Nil	24	2	16	Nil
M.B.A. (TOURISM)	14	Nil	4	Nil	Nil	Nil
M. B. A. RURAL MANAGEMENT AND ENTRAPRENEURSHIP DEVELOPMENT	2	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
M. B. A. EXECUTIVE	10	Nil	5	Nil	Nil	Nil
MASTER OF FINE ART	12	Nil	8	Nil	Nil	Nil
M.LIB. & I.SC.	8	Nil	4	Nil	1	Nil
B.COM (HONOURS)	129	7	16	6	8	Nil
MASTER OF SOCIAL WORK	2	3	Nil	Nil	Nil	2
B.SC. AGRICULTURE (FOUR YEAR COURSE) (SELF-FINANCE MODE).	119	Nil	24	5	19	
M.SC. IN ENVIRONMENTAL SCIENCE (SELF-FINANCE MODE)	6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
M.SC HORTICULTURE (TWO YEAR PROGRAMME) (SELF-FINANCE MODE).	4	Nil	1	Nil	Nil	Nil
BACHELOR IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES (B.P.ES) (SELF-FINANCE MODE)	39	Nil	11	1	5	Nil
M.SC AGRONOMY	12	Nil	4	Nil	1	Nil
M.SC. IN BIOMEDICAL SCIENCE	2	Nil	2	Nil		Nil

MASTER OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION (LATERAL ENTRY)	8	1	2	Nil	2	Nil
MASTER OF FINE ART (APPLIED ART)	3	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B.A.	632	7	554	19	79	Nil
B.COM.	241	4	77	14	35	Nil
M.COM.	32	2	11	1	1	Nil
MA (ENGLISH)	22	3	7	Nil	3	Nil
MA (SANSKRIT)	7	Nil	4	Nil	Nil	1
MA (HINDI)	8	Nil	5	3	1	1
MA (ECONOMICS)	35	1	16	Nil	3	Nil
B.SC - MATHS GROUP/BIOLOGY GROUP	709	28	185	26	55	5
MA (HISTORY)	41	3	39	Nil	2	Nil
MA (POL SCIENCE)	36	Nil	40	1	1	Nil
MA (GEOGRAPHY)/MSC (GEOGRAPHY)	9	1	3	1	1	Nil
MA (SOCIOLOGY)	18	2	23	Nil	7	Nil
MA (MUSIC)	7	Nil	8	Nil	Nil	Nil
MA (DRAWING)	10	Nil	14	4	Nil	Nil
MSC (MATHS)	41	Nil	8	10	5	2
MSC (PHYSICS)	26	5	7	1	3	Nil
MSC (CHEMISTRY)	39	6	7	1	6	Nil
MSC (ZOOLOGY)	30	5	13	2	4	1
MSC (BOTANY)	32	2	10	3	2	Nil
MSC (STATISTICS)	11	2	2	2	Nil	Nil
MSC (GEOLOGY)	31		2	5	3	2
MSC (FORESTRY)	22	1	4	1	3	Nil
MSC (COMPUTER SC.)	10	Nil	Nil	Nil	1	Nil
MA (HOME SCIENCE)	1	1	5	Nil	Nil	Nil
MSC (IT.)	20	1	3	Nil	Nil	Nil
M.SC. IN BIOTECHNOLOGY	32	Nil	6	Nil	1	Nil
M.SC. IN MICROBIOLOGY	21	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
INTEGRATED B.SC - M.SC IN BIOTECHNOLOGY	3	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION	70	Nil	7	Nil	4	Nil
M. B. A. (INTEGRATED BMS-MBA)	48	Nil	5	1	1	Nil
M.B.A. (SPECIALIZATION)	30	Nil	3	Nil	3	Nil
BACHELOR OF PHARMACY	74	5	24	2	13	29
MASTER OF PHARMACY (PHARMACEUTICS)	36	4	9	1	8	7
LL.M	62	3	8	1	9	
B.A.LLB. (HONS.)	73	7	26	6	9	0
B. Voc	163	20	34	5	22	Nil
Total	**3406**	**138**	**1341**	**132**	**370**	**55**
Grand Total						**5442**

Registrar
Kumaun University
NAINITAL

EAN - EDUCATION 1-4)VC) 773
25/9/2001

संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा मे,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरॉचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरॉचल।

कार्मिक विभाग

देहरादून:दिनांक: जुलाई 18, 2001

विषय - राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमो, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरॉचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थओं/शिक्षण संस्थओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान मे उपलब्ध जनसंख्या(रेपिड सर्वे)के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरॉचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(1) अनुसूचित जाति 19%
(2) अनुसूचित जनजाति 04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

3) Disabled persons 03%
4) Dependents of freedom fighters 02%

The woman /person to which class she /he belongs, horizontal reservation will be allowed in the same class.

1) Permanent policy regarding reservation will be decided separately

Sincerely

(Rakesh Sharma)
Secretary

Letter number 1144/ karmic-2-2002-53(1)/2001 on date

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1) Secretary to the Governor of Uttaranchal Government.
2) Secretary Public Service Commission Uttaranchal Haridwar.
3) Registrar High Court Uttaranchal.
4) Commissioner, Schedule Caste and Tribe, Uttaranchal, Dehradun.
5) Secretary, Legislative Assembly, Uttaranchal, Dehradun.
6) Personal Secretary to all Ministers for consideration of Hon'ble Ministers.
7) All Sections of the Secretariat.
8) Guard File

by order

(R. C. Lohani)
Under Secretary

Principal

F. No.20013/01/2018-BC-II
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment

17th January, 2019
Shastri Bhawan, New Delhi

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions.

In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the Constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

i. 5 acres of Agricultural Land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

संख्या 1906 / XXX(2) / 2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमायूँ
उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2006

विषय— उत्तरांचल के राज्याधीन सेवाओं / निगमों / सार्वजनिक उद्यमों एवं [illegible] संस्थाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक-2 / 2001-53(1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के प्रस्तर 2(1) द्वारा उत्तरांचल राज्य की [illegible] 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तरांचल राज्य के राज्याधीन सेवाओं, निगमों, सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिए [illegible] क्षैतिज आरक्षण 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त 30 प्रतिशत [illegible] में लागू नहीं होगा, जहाँ चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी हो और विज्ञप्ति प्रकाशित हो गयी हो [illegible] पुनर्विज्ञापित नहीं होंगे।

3. कृपया [illegible] उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिए [illegible] आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

201

संख्या 570 / कार्मिक-2 / 2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 22 मई, 200

विषय— राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक--2/ 2001—53(1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के प्रस्तर 2 (ii) द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान क्षैतिज आरक्षण 02 प्रतिशत को बढ़ाकर 05 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया है।

कृपया उपरोक्तानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की कक्षाओं में प्रवेश के नियम

(सत्र 2017–2018 से प्रभावी)

अध्याय–1: साधारण नियम–

1–1: विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में प्रत्येक महाविद्यालय एवं परिसर के लिये सीटों की संख्या पूर्व वर्ष की भाँति रहेगी।

1–2: विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। On Line प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा ।

1–3: प्रत्येक अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा On Line माध्यम से आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की Hard Copy के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के समय बिन्दु–क में उल्लिखित निर्धारित शपथ–पत्र प्रारूप पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

(क) **छात्र द्वारा शपथ–पत्र**

(1) मैं शपथ पूर्व प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी। मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य हूंगा/हूंगी।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

(3) मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नही करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित
उसी महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा–

(ख) **पिता अथवा अभिभावक की घोषणा–**

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती ——————————————

जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्धारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

1–4: Deleted *

1–5: कुमाऊँ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक I=(X+2Y+2Z) के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम् 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक स्थानों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा । स्थान रिक्त रह जाने पर प्रवेश दिया जा सकता है। कुमाऊँ परिक्षेत्र के मूल निवासी जिन्होंने कुमाऊॅ परिक्षेत्र में स्थित अन्य विश्वविद्यालयों अथवा राज्य से बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, उनको योग्यताक्रम में आने पर अधिकतम् 5 प्रतिशत स्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को निर्धारित अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे बी0ए0, बी0कॉ0 में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि 40 के स्थान 50 प्रतिशत तथा बी0एस–सी0 में 45 के 55 प्रतिशत) प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा। निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

1—6: किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1—7: (क)जो व्यक्ति नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

* As per the decision of the academic Council Meeting held on 30th May, 2017

1—7: (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

1—7: (ग)यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

1—7: (घ)किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1—8: सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1—9: किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता अथवा अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

1—10: किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण—पत्र जमा न किया हो।

1—11: ऐसे विद्यार्थी को जिसने नियमित प्रवेश लिया हो परन्तु बीमारी के कारण या अन्य किसी पुष्ट कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश नियमावली के अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने की दशा में केवल एक बार पुनः उसी सेमेस्टर, विषय, संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।

1–12: वार्षिक परीक्षा पद्धति (Annual Mode) से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत् प्रवेश लिया हो किन्तु किसी अपरिहार्य कारणों से उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो, तो उसे दूसरे वर्ष उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत / भूतपूर्व परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने की सुविधा परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन माह पूर्व प्रति प्रायोगिक विषय रु0 100 / – मात्र शुल्क जमा करने के बाद ही दी जा सकती है।

1–13: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तरांचल शाासन के पत्रांक–1144 / कार्मिक– 2–2001–53 (1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1–	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2–	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3–	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(नान क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले छः माह से पूर्व का न हो)

नोट– महिलाओं, सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा–

(1)	महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	02 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	03 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का हॉरिजन्टल आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यताक्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)।

1–14: मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया ।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise.

(iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.

(v) Waiving of domicile requirements.

(vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

1—15: कुमाऊँ विश्वविद्यालय/सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/ पति/ पत्नी/सगा भाई बहन को प्रत्येक कक्षा/विषय में अधिकतम पूर्णांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त लाभ प्रवेश हेतु दिया जाएगा। यह लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को ही प्रवेश हेतु देय होगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

1—16: स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांच्छित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा—

(क)	एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट—1,जी—2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी —	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर कम से कम सात दिवसीय में भाग लेने पर —	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन	20 अंक
(घ)	जम्मू—कश्मीर में तैनात अर्द्ध—सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू—कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन —	20 अंक
(ड)	विश्वविद्यालय की फस्ट एलेवन टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थी —	20 अंक
(च)	शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र निर्गत किया गया हो ।	25 अंक
(छ)	राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अन्तरविश्वविद्यालय टीम से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता खेलने पर,	25 अंक

अथवा

किसी छात्र/छात्रा ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्य होकर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी स्तर की उच्च टीमों का सदस्य रहा हो या उच्च स्तर की वाद–विवाद प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम/प्रदर्शनी में भाग लिया हो–

अथवा

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर– 50 अंक

नोटः उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नही जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1–17: यदि किसी छात्र/छात्रा ने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर On Line प्रवेश आवेदन प्रपत्र में विषय/संकाय/महाविद्यालय के लिए एक से अधिक विकल्प इंगित किये हों तो विषय/संकाय/महाविद्यालय के लिए परिवर्तन, सम्बन्धित विषय/संकाय/महाविद्यालय में स्थान उपलब्ध होने तथा छात्र/छात्रा के अर्ह होने की दशा में, प्रवेश प्रक्रिया की अन्तिम तिथि के 15 दिन के भीतर किया जा सकता है । उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में विषय/संकाय/महाविद्यालय का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

1–18: प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा उन्हें स्नातक में प्रवेश की तिथि से स्नातक स्तर पर 5 वर्ष (10 सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष (8सेमेस्टर) कुल 9 वर्ष का अध्ययनकाल (18 सेमेस्टर) (विधि/शिक्षा/व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर) अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारित शैक्षिक अवधि के उपरान्त लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा तथा उस कक्षा/विषय की उपाधि निरस्त कर दी जायेगी। एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

1–19: कुमाऊँ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः प्रवेश नही दिया जाएगा।विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश चाहने वाले विश्वविद्यालय के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवर्जन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा ।

1–20: Deleted *

1–21: एक सत्र् में स्नातक/स्नातकोत्तर(सेमेस्टर)/डिप्लोमा अथवा शोध में से किसी एक ही पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही अवधि मान्य होगी । यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा ।

1–22: प्रत्येक छात्र हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा पॉच प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

1–23: The candidates for the under graduate programs will have to choose the subject combinations as per the groups provided below:

(a). B. Sc.: A student has to opt three groups out of four as given below. Student has to opt only one subject from the selected groups.

* As per the decision of the academic Council Meeting held on 30th May, 2017

Group A	Group B	Group C	Group D
1. Mathematics 2. Botany	1. Physics 2. Zoology	1. Chemistry 2. Computer Science 3. Economics 4. Information Technology 5. Geography 6. Military Science	1. Geology 2. Statistics 3. Forestry

Note: Besides this there will be a compulsory paper of Environmental Sciences in 4th Semester.

****The candidate will have to follow permissible subject combinations mentioned in the University Prospectus.

(b).B.A.: A student has to opt three groups out of seven as given below. Student has to opt only one subject from the selected groups.

Group-A	**Group-B**	**Group-C**	**Group-D**	**Group-E**	**Group-F**	**Group G**
1. English Lit. 2.Sanskrit 3.Military Science 4.Kumauni Bhasha	1.Economics 2.Psychology 3.Drawing & Painting 4.Education	1.History 2. Math's 3.Music	1.Geography 2.Home Science	1. Pol. Science 2.Statistics	1.Hindi Lit. 2.Physical Education	1. Comp. Science 2. IT 3.Sociology

Note:

- There will be a compulsory paper of Environmental Sciences in 4th Semester.
- One compulsory subject of Language (Hindi or Sanskrit or English) in 1 & II Semester.
- The candidate can opt only two Literature Subjects all together.

(c). B. Com.: A student has to study four paper in each semester.

Note: there will be a compulsory paper of Environmental Sciences in 4th Semester.

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम

(शिक्षा सत्र 2017–2018)

अध्याय–2: कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

2.1: स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

2–1 (क)कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :–

(1)कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण ।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
(2)विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
(3)वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4)अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(5)स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु योग्यता निर्धारण करते समय कुमाऊँ क्षेत्र के किसी विद्यालय से अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम् अर्हता रखने वाले छात्रों को 50 अंकों का लाभ देय होगा तथा शेष उत्तराखण्ड क्षेत्र के विद्यालयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम् अर्हता रखने वाले छात्रों को 25 अंकों का लाभ देय होगा।

2–1 (ख)यदि किसी छात्र/छात्रा का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण न हुआ हो, प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता है

2.2: कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर एवं उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0एड0 एवं एम0 एड0 कक्षा में प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किये जायेंगे। पर्यटन डिप्लोमा, कम्प्यूटर डिप्लोमा, बी0फार्मा, बायो–टैक्नोलोजी, ई–कामर्स, बी0बी0ए, बी0सी0ए, बीएचएमसीटी,बी0एस–सी0(आई0टी0),बी0एस–सी0(आईएससी),बी0एस–सी0 (एसएस),एम0 एस–सी0(आईटी) एम0 एस–सी0 (आईएससी), एम0सी0एस, बी0ई0 काम0, बी0लिब0

एस–सी0, पी0जी0डी0आई0एस, पी0जी0डी0सी0ए0 एण्ड ओ0एम0 में प्रवेश लिखित परीक्षाओं के आधार पर किये जायेगें। लिखित परीक्षाओं की विषय वस्तु का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

2.3: विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय की Equivalence Committee द्वारा प्रदान की गयी हो ।

2.4: Deleted *

2.5: Deleted *

2.6: शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर कुलपति अपने विवेक से प्रवेश दे सकते हैं।

2.7: Deleted *

2.8: परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा ।

2.9: स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम –

Calculation of index for P.G. I Semester. Admission.(Where ever applicable)

The following formula would be used for admission to **<u>P.G. I Semester</u>** class:

I= $x+2y+2z$
I= Merit Index
X= Marks obtained in practicals at U.G. level
Y= Marks obtained in theory at U.G. level

(This would include all the subjects taken at U.G. level)

Z= Total marks obtained in theory at U.G.. level in the subject in which admission is requested at P.G. Semester class

(Admission would be given to P.G. Semester -I. Only in one of the subjects taken at the U.G. level)

* As per the decision of the academic Council Meeting held on 30th May, 2017

केवल मान्यता प्राप्त एन0आई0ओ0एस0(National Institute of Open Schooling) बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को 05 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश लेने हेतु सबसे अच्छे पॉच विषयों का चयन करना होगा।

2—10: कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा—

(1) कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, को भी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह माना जाएगा ।

(2) कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह होगें, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय में (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु वे ही छात्र अर्ह होंगें जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो ।

(3) एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा एण्ड टूरिज्म कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम् अर्हता विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अथ्यर्थी प्रवेश प्रवेश परीक्षा (यदि आवश्यक हो) द्वारा निर्धारित योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश के लिए अर्ह माने जायेंगे।

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

अध्याय–3

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

3–1: एल–एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर / एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को वर्तमान शासनादेश के अनुरूप प्रवेश में आरक्षण अनुमन्य होगा।

समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 26–5–2014 के अनुपालन में एल–एल0बी0(त्रिवर्षीय) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत अंकों पर प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3–2: विधि संकाय के एल–एल0बी0 द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व षष्ठ सेमेस्टर एवं एल–एल0 एम0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश संकायाध्यक्ष द्वारा विधि विभाग की विभागीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर किये जाएंगे।

3–3: एल–एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थियों की अधिकतम् संख्या 150 (जिसमें 100 स्थानों पर आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी तथा शेष 50 स्थान स्वःवित्त पोषित आधार पर योग्यता क्रमानुसार भरे जायेगें) तथा एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों की अधिकतम् संख्या 10 होगी।

3–4: विधि विभाग में यदि कोई प्रावधान बार काउन्सिल आफ इण्डिया (Bar Council of India) द्वारा निर्धारित नियमों के विरूद्ध अथवा असंगत हो तो बार–काउन्सिल द्वारा निर्धारित नियम ही मान्य होंगे।

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय
स्लीपी हॉलो, नैनीताल–263001, उत्तराखण्ड

Kumaun University
(Accredited Grade "A" by NAAC)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित

www.kunainital.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी० ए०, बी० एस–सी०, बी० कॉम०)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश
2022

<u>प्रवेश नियम</u>
<u>(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)</u>
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

<u>अध्याय–1</u> <u>साधारण नियम–</u>

1-1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1-2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1-3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय /संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1-4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1-5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1-6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1-7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा

हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय-परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1-8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1-9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1-10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1-11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है-

1- अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत

2– अनुसूचित जनजाति 04 प्रतिशत

3– अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत

4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत **(निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)**

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

(1) महिलाऐं 30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग 04 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

1-13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क)	एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)–	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन–	20 अंक
(घ)	जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/सगाभाई/बहन–	20 अंक
(ङ)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक

(झ)	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ)	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ)	अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट - उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नही जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1-14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1-15 (क) **स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु -**

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त -

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध न होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।

3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :- यदि विद्यार्थी सतत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

4. भविष्य में यू0 जी0 सी0 अथवा एन0 एच0 ई0 क्यू0 एफ0 के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1-16 कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष

परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1-17 एक सत्र् में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड-ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1-6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1-18 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1-19 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1-20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

अर्हता निर्धारण के नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय-2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम -

2-1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट/Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :-

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुर्त्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2-2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2-3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2-4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2-5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2-6 The candidates for the Under-Graduate programs shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional-subject combinations as per the group-scheme provided below:

(a) **<u>For Bachelor of Science (B. Sc.) :</u>**

(i) Subjects available in the group A and B are compulsory for the candidate.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from group C mentioned below from its own faculty or from the *other faculty.
**Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.*

Mathematics groups :

Group A	Group B	Group C
Mathematics	Physics	Chemistry Computer Science Information Technology Geology Statistics

Biology groups :

Group A	Group B	Group C
Botany	Zoology	Chemistry Information Technology Geology Forestry

(b) **<u>For Bachelor of Arts (B. A.) :</u>**

(i) A candidate has to opt for two major subjects from the group mentioned below by taking one subject from any group.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from the groups mentioned below (own faculty) or from the *other faculty.

**Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.*

A	B	C	D	E	F
ENGLISH LITERATURE	**DRAWING AND PAINTING**	**GEOGRAPHY**	**EDUCATION**	**HINDI LITERATURE**	**POLITICAL SCIENCE**
KUMAUNI BHASA	**ECONOMICS**	**HISTORY**	**SOCIOLOGY**		
SANSKRIT LITERATURE	**HOME SCIENCE**	**MUSIC**			
	PHYSICAL EDUCATION	**YOGA**			
	PSYCHOLOGY				

(c) **For Bachelor of Commerce (B. Com.) :**

(i) A candidate has to opt two major papers from its own faculty.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from its own faculty or from the *other faculty.

GROUP A	GROUP B	GROUP C
Financial Accounting	**Business Regulatory Framework**	**Business Organisation & Management**
		Business Communication

**Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.*

वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

Annexure-I

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ-पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर-

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती .... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर-पिता/अभिभावक

अध्यादेश (ORDINANCE)
बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

1. परिभाषाएं –

1.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (**Programme**)–
एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम०, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पीएच०डी० इत्यादि।

1.2 संकाय (**Faculty**)–

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.2.2 विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

1.3 विषय (**Subject**)–

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (**Course/Paper**)–

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

2. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर (Annexure - 1)

2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

2.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

2.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

2.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में (4/5/6 क्रेडिट) का होगा।

2.6 माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय (own faculty or other faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

2.7 बहुविषयकता (Multidisplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

2.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।

2.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

2.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवे एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

2.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।

2.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

2.13 ऐसे महाविद्यालयों/संस्थान जहाँ पर केवल 01 ही संकाय है वहाँ विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर (Minor Elective) भारत सरकार/यू0 जी0 सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं।

3. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses) (Annexure - 1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स (3X4=12 क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम) पूर्ण करना होगा।

4. सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) (Annexure - 1)

4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) करना अनिवार्य होगा ।

4.2 विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5. मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Open Online Courses)

5.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses trhough Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with

approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

5.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. शोध परियोजना (Research Project) (Annexure - 1)

6.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी०जी०डी०आर० में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पीएच०डी० कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

6.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

6.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

6.5 स्नातक स्तर एवं पी०जी०डी०आर० के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

6.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण (Annexure - 1)

7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

7.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी०जी०डी०आर० ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

7.5 यदि कोई योग्य विद्यार्थी (fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।

7.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

7.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी ।

7.9 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

9. उत्तीर्ण प्रतिशत

9.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

9.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

9.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) Qualifying है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।

9.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/ सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

9.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.6 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.7 किसी भी कोर्स/ पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयेां में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्र/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

9.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

10. कक्षान्नोति (Promotion)

10.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

10.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के सांथ दी जायेगी :–
विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षों (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेड्टिस उत्तीर्ण कर लिये हों।

10.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नही गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

11. बैक पेपर परीक्षा

11.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

11.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

11.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

11.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

12. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

13. SGPA एवं CGPA की गणना –

13.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – SGPA (Sj) = ∑(Ci x Gi) / ∑Ci	यहाँ पर – Ci = number of credits of the ith coursein jth semester Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
CGPA = ∑(Cj x Sj) / ∑Cj	यहाँ पर – Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester

13.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगा:–

CALCULATION OF SGPA

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment Max. Marks 25	External Examination Max. Marks 75	Total Max. Marks 100	Grade	Grade Point	Grade Value**
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1 (Th)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Personality Development	Co-curricular Course	Co-curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						182
				Theory Evaluation Max Marks 40	Training Evaluation Max Marks 60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	9	27
	Grand Total		25						209

**Grade Value = Grade Point x Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits = 209 / 25 = 8.36 (In a semester)

Note : Take only two digits after decimal in all the calculations

CALCULATION OF CGPA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25 SGPA : 8.36	CREDIT : 21 SGPA : 6.08	CREDIT : 25 SGPA : 8.90	CREDIT : 21 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits
(In all the semesters till now)

Thus, CGPA = (25 x 8.36 + 21 x 6.08 + 25 x 8.90 + 21 x 7.22) / 92 = 7.73

Hence, equivalent percentage = 7.73 x 9.5 = 73.44

And the **Division** will be **First**

13.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी:

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

14. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

14.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

14.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसर 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

14.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

15. व्याख्या खंड / वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

ANNEXURE 1

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना –

Year	Sem.	Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
		Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI						–	Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject